राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ.6 (179) परि/टैक्स/एच.क्यू./95/22 जयपुर, दिनांक : 16/2/06

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं.11) की धारा 4ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसमें संलग्न सारणी के स्तम्भ सं. 2 में यथा–विनिर्दिष्ट इस राज्य के विभिन्न वर्गों के परिवहन यानों के मामले में एक मुश्त कर की दर उसके स्तम्भ सं. 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर इसके द्वारा विहित करती है, अर्थात्:–

सारणी

क्र.सं.	मोटर यान के वर्ग का विवरण	एकमुश्त कर
1.	किराये के लिए प्रयुक्त मोटर साईकिल	यान की लागत का 6%
2.	चौपहिया मोटर यान	
	(क) ड्राइवर को छोड़कर 6 तक की सीट क्षमता वाले मोटर यान (मोटर कैब)	यान की लागत का 10%
	(ख) ड्राइवर को छोड़कर 6 से अधिक किन्तु ड्राइवर को छोड़कर 12 तक की सीट क्षमता वाले मोटर यान (मैक्सी कैब)	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय किये गये	चैसिस की लागत का 20%
	(ii) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	यान की लागत का 15%
3.	माल यान	
	(1) संलग्न यान	होर्स की लागत का 20%
	(2) संलग्न यान से भिन्न	
	(क) 2,00,000/– रु. तक की लागत वाली चैसिस/यान	चैसिस/यान की लागत का 15%
	(ख) 2,00,000/– रु. से अधिक और 6,00,000/– रु. तक की लागत वाली चैसिस/यान	चैसिस/यान की लागत का 9%
	(ग) 6,00,000/– रु. से अधिक लागत वाली चैसिस/यान	चैसिस/यान की लागत का 11%
	(3) उपर्युक्त किसी भी प्रवर्ग के अन्तर्गत नहीं आने वाले अन्य माल यान या डम्पर, लोडर, कैम्पर वैन/ट्रेलर, टिपर, कैश वैन, मोबाइल कैंटीन, हाल पैक डम्पर, मोबाइल वर्कशाप, एम्बूलैन्स, पशु एम्बूलैन्स, फायर टैण्डर, स्नोकर्ड लैडर, आक्जिलरी ट्रेलर और	

		अग्निशमन यान, हीयर्स, मेल कैरियर, मोबाइल क्लिनिक/एक्स–रे वैन/लाइब्रेरी वैन आदि जैसे यान (क) चैसिस के रूप में क्रय किये गये (ख) पूरी बॉडी के साथ क्रय किये गये	 चैसिस की लागत का 10% यान की लागत का 7.50%
4.	(i)	प्राइवेट सेवा यान ड्राइवर को छोड़कर 9 तक की सीट क्षमता के साथ (क) चैसिस के रूप में क्रय किये गये (ख) बॉडी के साथ क्रय किये गये	 चैसिस की लागत का 15% यान की लागत का 12%
	(ii)	ड्राइवर को छोड़कर 9 से अधिक और ड्राइवर को छोड़कर 39 तक की सीट क्षमता के साथ (क) चैसिस के रूप में क्रय किये गये (ख) बॉडी के साथ क्रय किये गये	 चैसिस की लागत का 35% यान की लागत का 25%
	(iii)	ड्राइवर को छोड़कर 39 से अधिक सीट क्षमता के साथ (क) चैसिस के रूप में क्रय किये गये (ख) बॉडी के साथ क्रय किये गये	 चैसिस की लागत का 42% यान की लागत का 32%
	(iv)	ड्राइवर को सम्मिलित करते हुए 7 से अधिक किन्तु ड्राइवर को सम्मिलित करते हुए 10 तक की सीट क्षमता वाली शैक्षणिक संस्था बस (क) चैसिस के रूप में क्रय की गयी (ख) बॉडी के साथ क्रय की गयी	 चैसिस की लागत का 15% यान की लागत का 12%
5.	माल यानों के रूप में प्रयुक्त गैर–कृषिक ट्रैक्टर–ट्रेलर		ट्रैक्टर, जिसके साथ ट्रेलर जुड़ा है, की लागत का 9%

परन्तु :

(1) राज्य के भीतर या बाहर पहले से रजिस्ट्रीकृत माल यानों की दशा में और राज्य में रजिस्ट्रीकृत माल यानों से भिन्न यानों की दशा में, यदि स्वामी या यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाला व्यक्ति इस अधिसूचना के अधीन कर संदत्त करने का विकल्प देता है तो एकमुश्त कर ऊपर यथा–संगणित कर की रकम को घटाकर परिवहन यान के रुप में रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 5 वर्ष तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 10% की दर से परिनिर्धारित किया जायेगा।

(2) उस दशा में जहां एकमुश्त कर धारा 4ग के अधीन संदत कर दिया गया है और इसके पश्चात् यान का प्रवर्ग/विवरण बदल जाता है और स्वामी या यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाला व्यक्ति बदले हुए प्रवर्ग/विवरण के एकमुश्त कर का संदाय करने का विकल्प देता है वहां एकमुश्त कर ऊपर यथा–संगणित कर की रकम को घटाकर,

धारा 4 ग के अधीन एकमुश्त कर के जमा कराने की तारीख को प्रारम्भ होने वाली कालावधि के लिए और उस तारीख तक जब स्वामी या यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाला व्यक्ति इस अधिसूचना के अधीन कर संदत्त करने का विकल्प देता है, 5 वर्ष की अधिकतम कालावधि के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 10% की दर से परिनिर्धारित किया जायेगा।

(3) उस दशा में जहां एक बारीय कर धारा 4(1)(ङ) के अधीन पहले ही संदत कर दिया गया है और स्वामी या यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाला व्यक्ति इस अधिसूचना के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प देता है वहां संदेय कर, इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर की रकम और धारा 4(1)(ङ) के अधीन पहले से संदत्त कर की रकम का अंतर होगा।

स्पष्टीकरण :– कर की संगणना के लिए यान की लागत :

(i) नये यान/चैसिस की दशा में क्रय बिल में यथा–दर्शित समस्त करों को सम्मिलित करते हुए शोरूम बाह्य कीमत होगी।

(ii) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत/क्रय किये गये और समनुदेशन/रजिस्ट्रीकरण के लिए राजस्थान में लाये गये यानों की दशा में और स्वामी या यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति के इस अधिसूचना के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प देने की दशा में, लागत वह होगी जो उस दिन, जब इस राज्य में तत्समान प्रकार के यान पर कर देय होता है, राजस्थान में प्रचलित है।

(iii) राजस्थान में पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों की दशा में, वह लागत होगी जो उस वित्तीय वर्ष, जिसमें स्वामी या यान का कब्जा या नियन्त्रंण रखने वाला व्यक्ति इस अधिसूचना के अधीन इस राज्य में समान प्रकार के यानों पर कर का संदाय करने का विकल्प देता है, की पहली अप्रैल को राजस्थान में प्रचलित हो।

(iv) उपर्युक्त परन्तुक (2) के अधीन यान के प्रवर्ग/विवरण में परिवर्तन की दशा में उस वित्तीय वर्ष, जिसमें स्वामी या यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाला व्यक्ति इस अधिसूचना के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प देता है, की पहली अप्रैल को राजस्थान में यथा प्रचलित समान प्रकार के यानों की लागत।

(v) उस दशा में जहां कर धारा 4(1)(ङ) के अधीन संदत कर दिया गया है वहां लागत वह होगी जो उस वित्तीय वर्ष जिसमें वह इस अधिसूचना के अधीन राज्य में समस्त प्रकार के

यानों के लिए कर संदत्त करने का विकल्प देता है, की पहली अप्रैल को राजस्थान में प्रचलित है।

टिप्पण :—. इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त स्वामी या यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा किसी कर या शास्ति का संदाय किया जायेगा जो इस अधिसूचना के प्रवृत होने के पूर्व किसी कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन संदेय थी।

राज्यपाल के आदेश से

(हनुवन्त सिंह भाटी)
उप शासन सचिव
शासन उप सचिव (प्रि.)
परिवहन विभाग
राज. जयपुर

क्रमांक : एफ.6 (179) परि / टैक्स / एच.क्यू. / 95 / 22 जयपुर, दिनांक 16/2/06

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ......16/2/06..... मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (गृह एवं यातायात) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त राजस्थान, जयपुर।
6. निजि सचिव, परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर ।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर ।
11. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी ।
13. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान ।

शासन उप सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT

NO.F6.(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/22 Jaipur, Dated: 16/2/06

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 4-C of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Rajasthan Act No. 11 of 1951), the State Government hereby prescribes the rate of **Lump sum tax** in the case of different class of transport vehicles of this State as specified in Col. No. 2 of the table appended here, at the rates specified against each in Col. No. 3 thereof; namely:-

TABLE

S. N.	Description of class of Motor Vehicle	Lump sum tax
1.	2.	3.
1.	Motor Cycle used for hire	6% of the cost of the vehicle.
2.	Four wheeled motor vehicles.	
	(a) Motor vehicle having seating capacity upto 6 excluding driver (Motor Cab).	10% of the cost of the vehicle.
	(b) Motor vehicle having seating capacity more than 6 excluding driver but upto 12 excluding driver (Maxi Cab).	
	(i) Purchased as a chassis.	20%of the cost of the chassis.
	(ii) Purchased with a complete body.	15%of the cost of the vehicle
3.	**Goods Vehicles**	
	(1) **Articulated Vehicle**	20% of the cost of the horse.
	(2) **Other than Articulated vehicle**	
	(a) Cost of chassis/vehicle upto Rs. 2,00,000.	15% of the cost of chassis/ vehicle.
	(b) Cost of chassis/vehicle more than Rs. 2,00,000 and upto Rs. 6,00,000.	9% of the cost of chassis/ vehicle.
	(c) Cost of chassis/vehicle more than Rs. 6,00,000.	11% of the cost of chassis/ vehicle.
	(3) Other Goods vehicle not covered under any category above or vehicle such as Dumper, Loader, Camper vans/ Trailers, Tipper, Cash	

	Van, Mobile canteen, Haul pack Dumpers, Mobile Workshops, Ambulance, Animal Ambulance, Fire Tenders, Snorked Ladders, Auxillary trailers and fire fighting vehicles, Hearses, Mail carrier, mobile clinic/X-ray vans/ Library vans, etc. (a) Purchased as a chassis. (b) Purchased with complete body.	 10% of cost of the chassis. 7.50% of cost of the vehicle.
4.	**Private Service Vehicles**	
	(i) With seating capacity upto 9 excluding driver.	
	(a) Purchased as a chassis.	15% of the cost of the chassis.
	(b) Purchased with the body.	12% of the cost of the vehicle.
	(ii) With seating capacity more than 9 excluding driver and upto 39 excluding driver:	
	(a) Purchased as a chassis.	35% of the cost of the chassis.
	(b) Purchased with the body.	25% of the cost of the vehicle.
	(iii) With seating capacity more than 39 excluding driver:	
	(a) Purchased as a chassis.	42% of the cost of the chassis.
	(b) Purchases with the body.	32% of the cost of the vehicle.
5	Educational Institutional bus with seating capacity more than 7 including driver and upto 10 including driver.	
	(a) Purchased as a chassis.	15%of the cost of the chassis.
	(b) Purchased with the body.	12%of the cost of the vehicle.
6	Non Agricultural tractor-trailers used as goods vehicles.	9% of the cost of the tractor to which the trailer is attached.

Provided that :-

(1) In case of Goods vehicles already registered in or outside the State and in case of vehicles other than goods vehicles registered in the state, if the owner or person having possession or control of the vehicle opts to pay tax under this notification, the lump sum tax shall be arrived at by reducing the amount of tax as computed above at the rate of 10% per financial year or part thereof upto 5 years from the date of registration as transport vehicle.

(2) In case where lump sum tax under section 4C have been paid and thereafter the category /description of vehicle changes and the owner or person having possession or control of the

vehicle opts to pay lump sum tax of changed category description, the lump sum tax shall be arrived at by reducing the amount of tax as computed above at the rate of 10% per financial year or part thereof for the period beginning from the date of deposition of lump sum tax under section 4C and upto the date the owner or person having possession or control of the vehicle opts to pay tax under this notification, subject to a maximum period of 5 years.

(3) In case where one time tax has already been paid under section 4 (1)(e) and the owner or person having possession or control of the vehicle opts to pay tax under this notification, than the tax payable shall be the difference between the amount of tax payable under this notification and the amount of tax already paid under section 4(1)(e).

Explanation: The cost of the vehicles for computation of tax:

(i) In case of new vehicle/chassis, shall be the ex-showroom price inclusive of all taxes as shown in purchase bill.

(ii) In case of vehicles registered/purchased out side the State and brought in to Rajasthan for assignment/registration, and owner or person having possession or control of the vehicle opts to pay tax under this notification, shall be the cost as prevailing in Rajasthan on the day when the tax becomes due on similar type of vehicle in this state.

(iii) In case of vehicles already registered in Rajasthan, shall be the cost as prevailing in Rajasthan on 1st April of the financial year in which the owner or person having possession or control of the vehicle opts to pay tax under this notification on similar type of vehicles in this state.

(iv) In case of change of category/description of the vehicle under proviso (2) above, shall be the cost of the similar type of vehicle as prevailing in Rajasthan on 1st April of the financial year in which the owner or person having possession or control of the vehicle opts to pay tax under this notification.

(v) In case where tax has been paid under section 4(1)(e), shall be the cost as prevailing in Rajasthan on 1st April of the financial year in which he opts to pay tax under this notification on similary type of vehicle in this state.

Note : In addition to tax payable under this notification there shall be paid by the owner or person having possession or control of a motor vehicle, any tax or penalty as was payable under this Act for any period prior to the coming into force of this notification.

By Order of the Governor

(Hanuwant Singh Bhati)
(Deputy Secretary to the Government)

उप शासन सचिव
परिवहन विभाग
राज जयपुर